भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2712

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014

†2712. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कडप्पा जिले में इस्पात संयंत्र, नेल्लौर के दुग्गीराजूपटनम में नए विमानपत्तन का निर्माण, विशेष श्रेणी दर्जा, अमरावती में नई राजधानी के लिए धनराशि, विशाखापटनम और विजयवाड़ा में मेट्रो निर्माण, आदि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन तथा लंबित मुद्दों के संबंध में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के साथ कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार तथा तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों, जिसमें अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना शामिल है, के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 23 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ग) और (घ): 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा समाप्त हो गया है। तथापि, केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष सहायता प्रदान करने को सहमत हो गई है ताकि, उस अतिरिक्त केंद्रीय हिस्से की भरपाई हो सके, जो कि राज्य को वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान उस स्थिति में प्राप्त हुई होती, यदि केंद्र तथा राज्य के बीच केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के निधियन का वहन 90:10 अनुपात में किया गया होता। विशेष सहायता, राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान हस्ताक्षरित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए संवितरित ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है।

******